

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 85/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/256

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.खीमाराम पुत्र उदाराम		1.मगनाराम पुत्र दलाराम के वारिसान
2.पदमाराम पुत्र खंगाराराम		1/1. ढपीदेवी पुत्री मगनाराम पत्नी हस्ताराम
3.भट्टाराम पुत्र करनाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1/2. देवाराम पुत्र मगनाराम 1/3. जसराज पुत्र मगनाराम 1/4. दिनेश पुत्र मगनाराम 1/5. गटकी पुत्री मगनाराम 1/6. सुखी बेवा मगनाराम
		2.सुखी पत्नी मगनाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा
		3.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
- प्रतिवादी एकतरफा।



निर्णय

दिनांक- 02/8/2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 419 क्षेत्रफल 1.5702 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 17.10.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 419 क्षेत्रफल 1.5702 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	भट्टाराम पुत्र करनाराम जाति मेगवाल सा. असाड़ा	असाड़ा	419	0.8472	बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
2	ढपीदेवी पुत्री मगनाराम पत्नि हस्ताराम हि.872/7230 देवाराम पुत्र मगनाराम हि.872/7230 जसराज पुत्र मगनाराम हि. 872/7230 दिनेश पुत्र मगनाराम हि.872/7230 गटकी पुत्री मगनाराम हि.873/7230 सुखी पत्नी मगनाराम हि.873/7230 सुखी पत्नी मगनाराम हि.1996/7230 जाति मेगवाल सा. असाड़ा	असाड़ा	419	0.7230	बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे ।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 02/8/24 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा



मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 85/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/256

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.खीमाराम पुत्र उदाराम 2.पदमाराम पुत्र खंगाराराम 3.भट्टाराम पुत्र करनाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.मगनाराम पुत्र दलाराम के वारिसान 1/1. ढपीदेवी पुत्री मगनाराम पत्नी हस्ताराम 1/2. देवाराम पुत्र मगनाराम 1/3. जसराज पुत्र मगनाराम 1/4. दिनेश पुत्र मगनाराम 1/5. गटकी पुत्री मगनाराम 1/6. सुखी बेवा मगनाराम 2.सुखी पत्नी मगनाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा 3.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 85/2023

निर्णय दिनांक :-02.8.2024

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 02.8.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 02.8.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Handwritten Signature)

(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	_____	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	_____
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	_____	जोड़	_____



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा